

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

राजभवन में निर्माण एवं सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु राशि रुपये 120.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,50,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 2

माननीय मुख्यमंत्रीजी के स्वेच्छानुदान मद के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय हो चुका है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जनसंपर्क दौरे के समय मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान अंतर्गत राशि रुपये 5.08 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,08,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 4 - 17

लोक सेवा आयोग को वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभिन्न मदों यथा वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, मजदूरी, वेतन, बिजली एवं पानी, वर्दियां, लेखन सामग्री, आतिथ्य व्यय, परिवहन व्यय, मशीन एवं उपकरण तथा वाहन अनुरक्षण के अंतर्गत राशि रुपये 86.55 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 86,55,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 18

आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली नवी मुंबई में प्रस्तावित अतिथि गृह मध्यालोक के प्लांट के सम्पत्ति कर के भुगतान हेतु रुपये 151.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,51,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 19 - 31

प्रशासन अकादमी के विभिन्न मदों यथा वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा व्यय, संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ग्रेड-पे, महंगाई भत्ता अखिलभारतीय सेवा, याता भत्ता प्रशिक्षण, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, संधारण कार्य, मशीन उपकरण हेतु कुल राशि रुपये 59,50,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 59,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1 - 2

राज्य सत्कार कार्यालय के लिये वित्तीय वर्ष 2011-12 में परिवहन व्यवस्था हेतु रुपये 1.00 लाख एवं 2 वाहन क्रय हेतु रुपये 8.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज्य सूचना आयोग कार्यालय के भवन निर्माण हेतु इस वित्तीय वर्ष में रुपये 3.89 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,89,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना के अंतर्गत किराया महसूल और स्थानीय कर मद में रुपये 12.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 5

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता आदि मदों हेतु कुल राशि रुपये 14.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 11

प्रदेश में स्थित पुलिस प्रशिक्षण शालाओं में मजदूरी, वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, ग्रेड-पे, चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रशिक्षण एवं लेखन सामग्री हेतु राशि रुपये 21.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 13

पुलिस अकादमी सागर के अंतर्गत लेखन सामग्री एवं प्रशिक्षण मदों में रुपये 3.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 - 16

अपराध अनुसंधान विभाग योजना अंतर्गत एल.टी.सी. हेतु रुपये 8.00 लाख, गोपनीय सेवा हेतु रुपये 150.00 लाख, वाहन अनुरक्षण हेतु रुपये 10.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 168.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,68,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

अभियोजन न्यायालय के अंतर्गत अभिभाषकों की फीस हेतु राशि रुपये 53.00 लाख की आवश्यकता है। राशि की प्रतिपूर्ति बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 - 19

अन्य पुलिस योजना अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतन, महंगाई भत्ते हेतु रुपये 4.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 - 22

विशेष पुलिस के अंतर्गत चिकित्सा में एवं दवाईयों के क्रय मदों हेतु कुल राशि रुपये 17.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

अश्वों की साज-सज्जा हेतु अन्य प्रभार में राशि रुपये 3,65,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

सामान्य व्यय (जिला स्थापना) के अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपये 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

ग्राम रक्षा समितियों के अंतर्गत मटेरियल के क्रय हेतु रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26 - 28

रेल पुलिस इंद्रौर विभाग योजना अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं यात्रा भत्ता हेतु कुल राशि रुपये 8.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29 - 30

रेल पुलिस-पश्चिम विभाग अंतर्गत भा.पु.से. के अधिकारियों के वेतन एवं मंहगाई भत्ते हेतु राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31 - 34

राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोग शाला सागर एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं हेतु 12 जिलों में मोबाइल यूनिट में नई पदस्थापना हेतु वेतन, मंहगाई, अन्य भत्ते एवं ग्रेड पे के लिये राशि रुपये 2,85,60,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,85,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 35

होशंगाबाद संभाग में जोनल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उप पुलिस अधीक्षक तथा आवासों का निर्माण किया जाना है, राशि की व्यवस्था विभागीय बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट में 12 थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिये रुपये 3.25 करोड़ का व्यय किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1 - 3,8

नागरिक सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत सिविल डिफेन्स इन्सटीट्यूट अपग्रेडेशन के लिये मंगोली जबलपुर में ट्रेनिंग बिल्डिंग का निर्माण एवं उपकरण संबंधी सामग्रियों का क्रय किये जाने हेतु राशि रुपये 1,04,08,300 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,04,08,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

म.प्र. स्टेट गैरैज से राजकीय अतिथियों एवं माननीय मंत्रीगणों की वाहन व्यवस्था के लिये वाहन क्रय हेतु रुपये 95,02,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 5

साफ्टवेयर हेतु निविदा आदि आमंत्रित करने के लिये आर.आ.पी. एवं टी.ओ.आर. तैयार किये जाने हेतु रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 6 - 7

राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत वेतन तथा मशीन एवं उपकरण के अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 4.65 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 1

कोष एवं लेखा के अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणों में डिक्रीधन का भुगतान किये जाने हेतु रुपये 1.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

कोष एवं लेखा के अंतर्गत वाहनों के क्रय एवं परिवहन व्यवस्था हेतु रुपये 22.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 1

विदेशी मदिरा क्रय के लिये अतिरिक्त राशि रुपये 60.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 2

वाणिज्यिक कर कार्यालय भवन का निर्माण हेतु रुपये 70.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1 - 5

राजस्व बोर्ड, ग्वालियर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा यात्रा भत्ता, लघु निर्माण एवं मशीनों

के अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 18.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 6,50,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 6 - 17

जिला स्थापना के अंतर्गत लोक सेवा प्रबंधन/कम्प्यूटर आपरेटरों को वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 117.25 लाख, नवीन राजस्व उप खण्डों हेतु वेतन भत्ते एवं वाहनों के क्रय पर रुपये 75.74 लाख, जिला सत्कार सुदृढीकरण हेतु आतिथ्य पर व्यय, दूरभाष व्यय, फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण एवं विभिन्न अन्य मदों हेतु राशि रुपये 405.15 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 598.14 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,98,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अंतर्गत रुपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19 - 37

प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में वेतन भत्ते, मजदूरी, चिकित्सा अग्रिम, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण एवं परिवहन व्यवस्था सहित अन्य मदों में रुपये 46.97 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,97,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 09

मुख्य शीर्ष 2058

मद क्रमांक 1 - 2

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री के अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा वाहन क्रय पर रुपये 1.70 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

शासकीय मुद्रणालयों के कम्प्यूटर आधारित बिलडिंग कार्य हेतु कम्प्यूटर क्रय पर रुपये 1.88 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 8

लेखन सामग्री तथा मुद्रण शासकीय एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय मुद्रणालयों में रुपये 92.61 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 92,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1 - 10

मुख्यालय के अंतर्गत वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु रुपये 615.89 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,15,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 14

कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना के अंतर्गत वेतन भत्तों आदि के लिये रुपये 5323.96 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 53,23,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15 - 21

राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वेतन भत्तों आदि के लिये रुपये 985.15 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,85,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1 - 2

रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत यात्रा भत्ता एवं अन्य आकस्मिक मद हेतु रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 5

रोजगार कार्यालय अंतर्गत मजदूरी, यात्रा भत्ता एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 6

पावरलूम बुनकरों को रियायती दर की नयी दरें लागू होने के कारण विद्युत वितरण कंपनी को दावों के भुगतान किये जाने हेतु रुपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 8

जिला उद्योग केन्द्र के अंतर्गत वेतन एवं महंगाई भत्ते हेतु रुपये 311.56 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,11,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

उद्योग संचालनालय एवं 48 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को कम्प्यूटराईजेशन एवं ऑन लाईन-ई-एम फाईलिंग हेतु राशि रुपये 64.68 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किये गये थे।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 64,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 10 - 13

मध्यवर्ती कार्यालय अंतर्गत महंगाई भत्ता, अन्य भत्ता, ग्रेड-पे, 16-प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वेतन हेतु रुपये 112.68 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,12,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

हुकुमचंद मिल के लिये आई.डी.बी.आई. से लिये गये ऋण वसूली एवं गारंटी की बकाया राशि की वसूली के भुगतान हेतु रुपये 126.00 लाख आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये गये थे।

अतः उक्त आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 1,26,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15 - 17

परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय की स्थापना अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे हेतु रुपये 63.25 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 63,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

लघु उद्योग को ब्याज अनुदान मद में राशि रुपये 675.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

माननीय मुख्यमंत्रीजी म.प्र. के नेतृत्व में वर्ल्ड एकोनामिक फोरम डालियान, बीजिंग एवं शंघाई के प्रवास हेतु आकस्मिकता निधि से रुपये 140.00 लाख स्वीकृत किये गये थे तथा डेस्टिनेशन म.प्र. इन्वेस्टमेंट ड्राइव हेतु कुल राशि रुपये 500.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

राज्य उद्योग निगम के विधिक बंदीकरण की व्यवस्था तथा निगम की बंद पड़ी ईकाईयों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु रखे गये होमगार्ड के वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी को आर्थिक सहायता हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान के साथ यह मद स्थापित किया जाना है। उक्त व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत बी.ओ.आर.एल. में वैट की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 2900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23 - 26

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य हेतु नवीन योजना शीर्ष खोला जाना है। इस हेतु राशि रुपये 400 का व्यय संभावित है। उक्त व्यय स्वीकृत बजट की बचत से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

औद्योगिक ईकाईयों को लागत पूंजी अनुदान मद में राशि रुपये 926.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,26,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1 - 5

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विशेष अदालतों का गठन हुआ है, जिसके वेतन, भत्तों, कार्यालयीन व्यय में रुपये 35.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 6

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदाय की जा रही निःशुल्क विद्युत की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 100.00 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

म.प्र. विद्युत मंडल/उत्तरवर्ती कंपनियों को कृषकों के नवीन विद्युत कनेक्शन योजना अंतर्गत रुपये 26.00 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 8

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये रुपये 650.00 करोड़ की राशि कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की अंशपूंजी में धनवेष्ठन अंतर्गत द्वितीय चरण वर्ष 2011-12 में राशि रुपये 3.73 करोड़ का धनवेष्ठन किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,73,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत खाद एवं उर्वरक की व्यवस्था हेतु पूंजी पर ब्याज योजना में राशि रुपये 337.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,37,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना में रुपये 56.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 6

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसके लिये राशि रुपये 113.72 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,13,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में राशि रुपये 65.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

संचालक कृषि अभियांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत कृषि यांत्रिकी संचालनालय की स्थापना अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता मद में स्वीकृत बजट

से रुपये 120.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अंतर्गत मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ते मद में स्वीकृत बजट से राशि रुपये 130.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजनाओं का सुदृढीकरण योजना अंतर्गत रुपये 69.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	14
मुख्य शीर्ष	2403

मद क्रमांक 1

संचालक, पशुपालन म.प्र. शासन भोपाल के अंतर्गत देशी नस्ल की दुधारू गायों हेतु पुरस्कार योजना के अंतर्गत राशि रुपये 25.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पशु चिकित्सालय के कार्यभारित आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों के वेतन हेतु रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 6

ब्रुसेल्लोसिस रोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु रुपये 68.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

पशु तथा भैंस विकास एवं गहन पशु विकास परियोजना हेतु रुपये 6.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 9

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन हेतु राशि रुपये 66.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 66,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 - 11

मुर्गीपालन विकास प्रक्षेत्र के कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों के वेतन हेतु राशि रुपये 77.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हेतु रुपये 892.07 लाख ब्लाक ग्रांट के रुप में निर्धारित करने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई थी। वर्ष 2011-12 के बजट में इस हेतु राशि रुपये 700.88 लाख प्रावधानित है। अतः अंतर की राशि रुपये 191.19 लाख का प्रस्ताव द्वितीय अनुपूरक

अनुमान में किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,91,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 - 14

पशुपालन के अंतर्गत एन.ए.डी.ए.आर.एस. योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	15
मुख्य शीर्ष	2216

मद क्रमांक 1

मुख्य मंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बी.पी.एल. परिवारों की सूची में चिन्हित अनुसूचित जाति वर्ग के आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि से रुपये 850.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत इंदिरा आवास योजना हेतु केन्द्रांश की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है। राज्यांश की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 23.34 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,34,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	16
मुख्य शीर्ष	2405

मद क्रमांक 1

संचालनालय मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत निर्देशन और प्रशासन योजना मद में राशि रुपये 5.60 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश में मत्स्योत्पादन में वृद्धि हेतु कार्य योजना बनाने के लिये तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति पर होने वाले व्यय हेतु रुपये 4.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

मछुआरों की राष्ट्रीय कल्याण निधि अंतर्गत आवास गृहों के निर्माण हेतु राज्यांश रुपये 1,02,50,000 एवं उसके समतुल्य केन्द्रांश राशि रुपये 1,02,50,000 इस प्रकार कुल राशि रुपये 2,05,00,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

आर.के.व्ही.वाई. योजना अंतर्गत राष्ट्रीय प्रोटीन सप्लीमेन्ट्स मिशन में भारत सरकार से शत प्रतिशत अनुदानित राशि हेतु रुपये 1238.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	17
-------------	----

मद क्रमांक 1

वर्ष 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाये जाने का निश्चय किया गया है जिस हेतु रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 4

सहकारी न्यायाधिकरण भोपाल को प्राप्त बजट आवंटन में वेतन भत्ते अवकाश यात्रा सुविधा, पेट्रोल तेल आदि में अतिरिक्त राशि रुपये 1.92 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण की उपलब्धता हेतु राज्य शासन से ब्याज अनुदान कराये जाने हेतु रुपये 107.44 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,07,44,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 6

म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड की ऋण पत्रों देयताओं के भुगतान हेतु लिये गये ऋण राशि को चुकाने के लिये राशि रुपये 185.05 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,85,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 4

माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुक्रम में 3 नये संभाग नर्मदापुरम, शहडोल एवं चंबल में नवीन संभागीय कार्यालयों की स्थापना की जाना है। जिस हेतु संभागीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना हेतु वेतन भत्ते आदि मदों पर रुपये 103.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुसार बेटी बचाओं अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये राज्य स्तरीय पी.सी.एण्ड.पी.एन.डी.टी. इकाई का गठन हेतु राशि रुपये 69.09 लाख जिला स्तरीय पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 87.05 लाख बेटियों के माता पिता के क्लबों हेतु राशि रुपये 5.00 लाख पी.सी.एण्ड पी. एन.डी.टी. एक्ट पर सघन प्रशिक्षण पर राशि रुपये 10.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 171.59 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,71,59,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

प्रदेश के जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल एवं औषधालयों के लंबित विद्युत देयकों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में राशि रुपये 2.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के क्रियान्वयन में रुपये 30.00 करोड़ का व्यय संभावित है। इस हेतु रुपये 15.00 करोड़ आकस्मिकता निधि से

अग्रिम प्रदान किया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम रुपये 15,00,00,000 की प्रतिपूर्ति सहित कुल रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं के लंबित विद्युत देयकों के निराकरण हेतु राशि रुपये 50.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

प्रदेश के 100 स्वास्थ्य केन्द्रों में सोलर फोटो वोल्टेईक संयंत्रों की स्थापना हेतु राशि रुपये 22.50 करोड़ मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को प्रदाय किये जाना है। अतः इस हेतु रुपये 22.50 करोड़ व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

वृद्धजनों की देखभाल हेतु प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम अंतर्गत आवश्यक राज्यांश के लिये रुपये 26.03 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15 - 16

प्रदेश में अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 0-5 वर्ष के बच्चों के लिये ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रोगियों को निःशुल्क औषधियां उपलब्ध कराये जाने हेतु रुपये 10.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 14

माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुक्रम में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खिरियाकला जिला सागर, गोहारी जिला सतना की स्थापना तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र किरायच जिला मुरैना, सालेटेंका जिला बालाघाट, छर्च जिला शिवपुरी, मछण्ड जिला भिण्ड का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं ग्राम चित्ता जिला नीमच में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराढ़ जिला शिवपुरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना है। इस हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना पर वेतन भत्ते आदि मद पर रुपये 37.90 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 - 22

बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन एवं जबलपुर तथा प्रशिक्षण केन्द्र खण्डवा, रतलाम, सागर एवं छिंदवाड़ा में अतिरिक्त सीट वृद्धि के परिणामस्वरूप कालेज एवं प्रशिक्षण केन्द्र के आवश्यक व्ययों हेतु राशि रुपये 65.50 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 23

प्रदेश में खण्डवा, रतलाम एवं छिंदवाड़ा में जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र के छात्रावास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि यहां पर सीटों की संख्या 20 से बढ़ाकर 60 की गई है। इस पर रुपये 17.40 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

भोजवेट लैण्ड परियोजना अंतर्गत संधारण कार्य हेतु रुपये 80.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 2

बालाघाट एवं दमोह जिले की नलजल योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु राशि रुपये 4000.00 लाख की आवश्यकता है। उक्त राशि में से 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार का अंशदान होगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जल गुणवत्ता (खारे पानी) से प्रभावित रतलाम जिले के 07 ग्रामों/बसाहटों की जल प्रदाय योजना के लिये राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी। इस हेतु भारत सरकार से राशि रुपये 2.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1 - 18

नगर तथा ग्राम निवेश के अंतर्गत वेतन भत्तों, कार्यालय व्यय तथा वरिष्ठ अधिवक्ता के लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि रुपये 60.05 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर व्यय संभावित है। इस हेतु रुपये 8.00 लाख का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 60,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

नवगठित विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों रतलाम, कटनी, सिंगरौली, अमरकंटक, खजुराहो, महेश्वर एवं मंडलेश्वर के कार्य संचालन हेतु राशि रुपये 192.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत पचमढी स्थित राजेन्द्र गिरी पर प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु राशि रुपये 25.00 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 21

राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा सड़कों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 22

अरिहायसी भवन के कार्य संचालन हेतु राशि रुपये 195.24 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,95,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22
मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1 - 2

अग्निशमन केन्द्र पीथमपुर के अंतर्गत पेट्रोल तेल एवं वाहन अनुरक्षण मद में लंबित देयक के भुगतान हेतु रुपये 1.35 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 8

अग्निशमन केन्द्र इंदौर के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, पेट्रोल तेल, दूरभाष, बिजली, जल प्रभार हेतु रुपये 41.42 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 11

अग्निशमन केन्द्र मंत्रालय भोपाल हेतु वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे मदों में राशि रुपये 10,53,500 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,53,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 16

अग्निशमन केन्द्र मालनपुर के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे, पेट्रोल तेल एवं अनुरक्षण मद में रुपये 6,54,200 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,54,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 17

इंदौर शहर में विश्व बैंक सहायित सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु वर्ल्ड बैंक एवं मध्यप्रदेश शासन के मध्य हुये अनुबंध के तहत राज्यांश का प्रावधान किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 233.86 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,33,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत अनुकंपा अनुदान राशि के लिये रुपये 1,25,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 , 20

नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय के अंतर्गत लोक सेवा प्रबंधन एवं कार्यालय व्यय हेतु राशि रुपये 2.34 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23
मुख्य शीर्ष 2700

मद क्रमांक 1 - 9

चंबल परियोजना, तवा परियोजना, अपर बैनगंगा परियोजना, कोलार परियोजना, हलाली परियोजना एवं भाण्डेर परियोजना अंतर्गत मजदूरी एवं कार्यभारित आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं स्थायी संपत्तियों का अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 972.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

जिसमें रुपये 3.72 लाख की राशि मांग संख्या 45 मुख्य शीर्ष 2702 से समर्पित कर पूर्ति की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

निर्वाचित कृषक संस्थाओं को अनुदान हेतु रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु रुपये 100.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2701

मद क्रमांक 11

निर्वाचन कृषक संस्थाओं को अनुदान हेतु रुपये 100.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 13

मजदूरी एवं कार्यभारित आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन में रुपये 450.00 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 14-15

राजघाट नहर परियोजना के नहरों के सुधार सुदृढीकरण, पुर्नस्थापन में रुपये 3515.00 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

सिंध परियोजना द्वितीय राजघाट परियोजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य में रुपये 3000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 17-19

महुआर परियोजना रूझ परियोजना एवं मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य में रुपये 4500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय राजमार्ग अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु रुपये 4000.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जिला तथा अन्य सड़क अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज्यकीय /मुख्य जिला मार्ग के नवीकरण हेतु रुपये 15000.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मुख्यालय स्थापना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 22.00 लाख का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 5

वृहद पुलों के निर्माण के प्रगतिरत कार्यों एवं नवीन कार्यों हेतु रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसमें निम्नांकित 3 नवीन कार्य सम्मिलित हैं:-

1. जिला मुरैना - अम्बाह से उसेद घाट मार्ग में चंबल नदी पर उच्च स्तरीय वृहद पुल निर्माण
2. जिला मुरैना - क्वारी नदी पर पुल निर्माण
3. जिला मुरैना - सोन नदी पर पुल निर्माण

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

प्रगतिरत कार्यों हेतु रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन हेतु प्रगतिरत कार्यों हेतु रुपये 2500.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) 3 नवीन सड़क कार्यों हेतु रुपये 1495.03 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट से की जावेगी। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाईलागत (कि.मी.)	प्रतीक (लाख में)	प्रावधान
------	------	--------------	-----------------------	---------------------	----------

1.	बुरहानपुर	जसोदी करोली जलगांव मार्ग	15.00	825.00	100
2.	जबलपुर	मड़ईकलां मखरार मार्ग	6.92	333.56	100
3.	खरगौन	हीरापुर से चितावद मार्ग	10.46	336.47	100

योग 32.38 1495.03 300

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

बी.ओ.टी. परियोजना अंतर्गत सड़कों के विकास में भू-अर्जन कार्य के लिये रुपये 70.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

खानों का विनियमन तथा विकास अंतर्गत मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

ग्रामीण अवसंरचना मद में खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण हेतु राशि रुपये 62,44,85,500 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 62,44,85,500 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के लिये आकस्मिकता निधि से रुपये 3.00 करोड़ स्वीकृत किये गये थे तथा जिला धार में राजा भोज के महोत्सव हेतु रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर कुल राशि रुपये 350.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित राशि रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राज्य नाट्य विद्यालय स्थापना हेतु अमले भवन/छातावास किराया बिजली पानी, उपकरण क्रय, पुस्तकालय संचालन एवं नाट्य समारोह के कार्य संचालन हेतु राशि रुपये 1.25 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 9

पुरातत्व एवं अभिलेखागार के निर्देशन तथा प्रशासन कार्यभारित /आकस्मिक सेवा में कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रुपये 18.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 - 16

डॉ. वी.एस. वाकणकर सृजनपीठ की स्थापना/वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता एवं शोध कार्य हेतु रुपये 4,91,700 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,91,700 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17 - 23

पुरातत्व एवं अभिलेखागार में कार्यभारित /आकस्मिक सेवा में कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रुपये 50 हजार का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24 - 30

पुरातत्व एवं अभिलेखागार में कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 12.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

पुरातत्व एवं अभिलेखागार में कार्यरत श्रमिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रुपये 4.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

भारत भवन प्रशासनिक व्यवस्था के कार्य संचालन हेतु राशि रुपये 15.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

भारत भवन रंग मंडल कार्यक्रमों हेतु राशि रुपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 34

भारत भवन के रख-रखाव हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

भारत सरकार की योजना अंतर्गत मदरसा बोर्ड के विकास हेतु रुपये 5.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28

मुख्य शीर्ष 2011

मद क्रमांक 1

संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत विद्युत व्यय के देयकों का भुगतान, राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल को किये जाने हेतु रुपये 1,98,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 3

उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में रजिस्ट्री में पदस्थ रजिस्ट्रार हेतु नीलाम किये जा चुके वाहन के स्थान पर एक वाहन क्रय किये जाने हेतु रुपये 4,30,000, विशेष कर्तव्यस्थ आधिकारियों हेतु तीन वाहन क्रय किये जाने हेतु रुपये 17,00,000 एवं उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति गण के लिये वाहन क्रय करने हेतु रुपये 46,98,000 के व्यय होने की संभावना है। इस प्रकार कुल राशि रुपये 68.28 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,28,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 1,2,4-5

उच्च न्यायालय के अंतर्गत मकान किराया भत्ता, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं प्रशिक्षण हेतु रुपये 45,00,100 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,100 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

म.प्र. उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराइजेशन योजना अंतर्गत फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण के लिये रुपये 43.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 8

निर्वाह पत्र तामिल स्थापना के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते मदों हेतु राशि रुपये 18.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

म.प्र. औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु स्थापित विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों हेतु वाहन क्रय किये जाने के लिये रुपये 12.00 लाख की आवश्यकता है। राशि की प्रतिपूर्ति उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 16

सिविल सत्र न्यायालय की सामान्य स्थापना अंतर्गत वेतन भत्ते, मजदूरी, वेतन भत्ते न्यायिक सेवा डाकतार व्यय एवं वर्दियों मदों हेतु रुपये 179.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,79,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 - 27

म.प्र. ग्राम न्यायालय हेतु मजदूरी, वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, समुचरी भत्ता, डाक तार व्यय, लेखन सामग्री एवं फार्म, अन्य आकस्मिक व्यय एवं वाहन अनुरक्षण हेतु रुपये 5.52 करोड़ के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28 - 31

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गठित विशेष न्यायालय के वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, समचुअरी भत्ता आदि मदों हेतु रुपये 32.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32 - 41

फास्ट ट्रैक न्यायालय हेतु मजदूरी, वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, यात्रा भत्ता, दूरभाष प्रभार, विद्युत एवं जल पेट्रोल एवं तेल, अभिभाषक की फीस, वाहन अनुरक्षण कार्य आदि के लिये रुपये 263.10 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,63,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42

अतिरिक्त महाधिवक्ता जबलपुर के लिये वाहन क्रय हेतु रुपये 6.58 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 61

परिवार न्यायालय राजगढ़ के पीठासीन अधिकारी हेतु एक वाहन क्रय किये जाने के लिये रुपये 6.00 लाख के व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 43-60,62

कुटुम्ब न्यायालय /परिवार न्यायालय के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय, ग्रेड-पे, समचुअरी भत्ता, यात्रा भत्ता, दूरभाष, फर्नीचर एवं उपकरण, विद्युत एवं जल, स्टेशनरी एवं फार्मर्स, अन्य व्यय, पेट्रोल व तेल आदि एवं वाहन अनुरक्षण मदों हेतु रुपये 173.45 लाख का अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,73,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 63 - 66

विधि और विधायी कार्य विभाग की विभिन्न मदों में चिकित्सकीय व्यय प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा, यात्रा भत्ता, वाहन अनुरक्षण मदों में कुल रुपये 8,90,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1-2

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण हेतु रुपये 50.00 करोड़ तथा सामुदायिक भवन ग्रामीण विकास हेतु रुपये 10.00 करोड़ (आयोजना) इस प्रकार कुल राशि रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31
मुख्य शीर्ष 3451

मद क्रमांक 1 - 2

राज्य योजना आयोग कार्यालय में उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग के लिये एक नवीन वाहन का क्रय हेतु रुपये 6.00 लाख एवं कार्यालय उपयोग हेतु रुपये 5 कम्प्यूटर, 6 प्रिन्टर एवं 4 लेपटॉप क्रय करने हेतु रुपये 7.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 3 - 7

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के वेतन भत्तों आदि हेतु रुपये 8.10 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 9

जन्म -मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन में अन्य भत्ते आदि हेतु रुपये 2.25 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

इंडियन इकानॉमिक एसोसिएशन, अन्य भत्ते हेतु रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 13

पांचवी आर्थिक गणना में यात्रा भत्ते के भुगतान हेतु रुपये 41.48 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1-5

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में मजदूरी, बिजली हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 66.96 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 66,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 6 - 21

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में वेतन भत्ते, मजदूरी, बिजली, चिकित्सा व्यय, किराया महसूल हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 164.31 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,64,31,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत कुछ रोगियों के आवास की बस्ती को समग्र योजना बनाये जाने हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सामाजिक न्याय विभाग अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों पर कम्प्यूटराईजेशन एवं उसके रख-रखाव हेतु राशि रुपये 10.70 लाख की आवश्यकता है। इसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37

मुख्य शीर्ष 3452

मद क्रमांक 1

दतिया हवाई पट्टी के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु राशि रुपये 58.92 लाख एवं पर्यटन स्थलों में विकास हेतु रुपये 5.00 करोड़ कुल राशि रुपये 558.92 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,58,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पर्यटन विभाग के वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, दूरभाष व्यय, अनुरक्षण कार्य संचालन हेतु रुपये 6.10 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सूचना और प्रचार हेतु राशि रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 38

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 22

आयुष विभाग के अंतर्गत वेतन भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मकान किराया, भोजन व्यय, सामग्री एवं पूर्तियां के लिये आयोजनेतर मद में रुपये 41.34 लाख एवं आयोजन मद में रुपये 4,01,400 के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,35,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23 - 24

शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा बिजली एवं जल प्रभार हेतु राशि रुपये 6.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 25

आयुर्वेद महाविद्यालय में वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 2.00 करोड़ व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1 - 6

खाद्य विभाग के उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ अन्तर्गत मजदूरी वेतन भत्ते मद में राशि रुपये 346.75 लाख अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,46,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

खाद्य विभाग अंतर्गत विश्व उपभोक्ता दिवस एवं माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा अनुसार ग्राहक दिवस मनाये जाने हेतु रुपये 3.99 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

खाद्य विभाग अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 5.29 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,29,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

खाद्य विभाग के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना हेतु रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

खाद्य विभाग के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन (धान उपार्जन हेतु बोनस) हेतु रुपये 43,92,72,125 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,92,72,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

खाद्य विभाग अंतर्गत खाद्यान्न भण्डारण हेतु अस्थाई कैमों के निर्माण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

खाद्य विभाग के अन्तर्गत खाद्यान्न उपार्जन की कम्प्यूटराईजेशन परियोजना हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

मद क्रमांक 13

खाद्य विभाग अंतर्गत मोबाईल टेस्टिंग किट (भारी वाहन) के अनुरक्षण हेतु रुपये 6.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 40
मुख्य शीर्ष 2705

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित योजना कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु रुपये 100.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1 - 2

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में 21 नवीन पोलिटेकनिक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस हेतु भारत सरकार से प्रथम किशत के तहत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये रुपये 294.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है, तथा कम्प्युनिटी डेवलपमेंट श्रो पोलिटेकनिक योजना के तहत 19 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये रुपये 17.78 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में कुल राशि रुपये 311.78 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,11,78,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 3

म. प्र. खेल प्राधिकरण के अंतर्गत पदस्थ कर्मचारियों का अंशदायी भविष्य निधि योजना अंतर्गत अंशदायी फण्ड का भुगतान एवं प्राधिकरण में पदस्थ अमले के वेतन, भत्तो आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 8.80 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 9

आदिवासी क्षेत्रों में खेलों की सुविधाओं का विस्तार करने हेतु खेल अकादमियों की स्थापना योजना अंतर्गत आवर्ती एवं अनावर्ती मद के रूप में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 98.72 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 98,72,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन, राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार तथा पूर्व ओलम्पियन खिलाड़ियों का सम्मान आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 165.73 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,65,73,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 987.20 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,87,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 12 - 15

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पेटलावद जिला झाबुआ एवं कुक्षी जिला धार का सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाना है। जिस हेतु निर्धारित मापदंड अनुसार अतिरिक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की पदस्थापना पर वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता, ग्रेड पे आदि पर होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16 - 19

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र धवनी जिला बड़वानी, आशापुर एवं गुलाई जिला खण्डवा, खण्डलाई जिला धार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना है। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमझौर जिला शहडोल बटकाखापा जिला छिन्दवाड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना है। जिस हेतु निर्धारित मापदंड अनुसार अतिरिक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की पदस्थापना पर वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता, ग्रेड पे आदि पर होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र - छात्राओं को शिष्यवृत्ति हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 59.77 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 59,77,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 21 - 23

अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईयां योजना में पदस्थ अमले के लिए वेतन, मंहगाई भत्ता एवं वर्दिया हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 2.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान योजना अंतर्गत अशासकीय संस्थाओं में पदस्थ कर्मचारियों के लम्बित वेतन भत्तो के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25 - 28

राज्य द्वारा संचालित प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी पहुंचाने हेतु वन्या प्रकाशन के माध्यम से सामुदायिक रेडियो वन्या रेडियो, मेला उत्सव प्रदर्शनी, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं प्रकाशन आदि कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 535.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,35,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए संरक्षण सह-विकास योजना, ग्राम कदवाया से मामोन का विकास कार्य तथा भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि हेतु वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 1782.02 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,82,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 30

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिये अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन संचालित है। इस मिशन के संचालन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 1083.38 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,83,38,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 31

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं में हुये नुकसान दावों के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 1500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 32

भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के लिये रुपये 50.00 लाख की राशि विमुक्त की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2415

मद क्रमांक 33

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर की स्थापना में वेतन भत्तो एवं अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान प्रदाय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 34

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के महाविद्यालयों, पंचायतों तथा अन्य कलस्टरो के माध्यम से विज्ञान के लोकव्यापीकरण के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 130.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 35

खेल अकादमियों की स्थापना योजना अंतर्गत विभिन्न अधोसंरचना निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 84.22 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 84,22,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

आदिवासी क्षेत्रों में खेलों के विकास एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण योजना में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 129.15 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,29,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

ग्राम बड़ौदा अहीर में शहीद जननायक टंट्या भील की स्मृति में स्मारक का निर्माण लागत रुपये 2.00 करोड़ से किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 150.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

ग्राम धावाबावड़ी में भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र की स्थापना लागत रुपये 1.48 करोड़ से की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 138.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 39

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्ती में विभिन्न विकास कार्य कराये जाने तथा रैन बसेरा आदिवासी संस्कृति सह: प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 946.34 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,46,34,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 40

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ए.आई.बी.पी. योजना अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	योजना का नाम	जिला	विकास खण्ड	लागत (रु. लाखों में)
1.	ढोलीखाली तालाब	झाबुआ	पेटलावद	90.89
2.	चावलाखेडी तालाब	रतलाम	सैलाना	410.22
3.	कसारवरडी बैराज	झाबुआ	पेटलावद	360.67
4.	बोलीयापाडा बैराज	झाबुआ	पेटलावद	491.97
5.	गर्वडी वाक्यापाडा बैराज	धार	सरदारपुर	369.53
6.	देवगढ़ बैराज	झाबुआ	पेटलावद	517.84
7.	रानी सिंग बैराज	झाबुआ	पेटलावद	455.99
8.	भण्डारिया तालाब	रतलाम	बाजना	315.48
9.	दुर्गापुरा तालाब	राजगढ़	खिलचीपुर	418.53
10.	कचनारी डायवर्शन	डिण्डोरी	समनापुर	442.06
11.	सुन्दरपुरा डायवर्शन	डिण्डोरी	समनापुर	761.62
12.	खामी डायवर्शन	डिण्डोरी	समनापुर	706.53
13.	बोरवन तालाब	बडवानी	पानसेमल	469.09
14.	बरगा तालाब	डिण्डोरी	अमरपुर	939.52
15.	मुरता तालाब	डिण्डोरी	अमरपुर	650.31
16.	बखा डायवर्शन	डिण्डोरी	अमरपुर	758.29
17.	कुडिया डायवर्शन	डिण्डोरी	अमरपुर	710.32
18.	टिकारिया तालाब	डिण्डोरी	डिण्डोरी	606.38
19.	सारंगपुर पडरिया तालाब	डिण्डोरी	डिण्डोरी	931.74
20.	नागदामन तालाब	डिण्डोरी	डिण्डोरी	778.65
21.	रकरिया तालाब	डिण्डोरी	डिण्डोरी	966.07
22.	ग्वायरा तालाब	डिण्डोरी	डिण्डोरी	659.62
23.	नीमटोला तालाब	डिण्डोरी	बजाग	608.13
24.	पाण्डूराखी डायवर्शन	डिण्डोरी	बजाग	529.60
25.	हरनाला तालाब	बालाघाट	बालाघाट	269.93
26.	छिन्दाटोला तालाब	बालाघाट	परसवाडा	187.03

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 41

कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था हेतु विद्युत वितरण कंपनी को धनवेष्टन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में

प्रावधानित राशि से रुपये 5800.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 58,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में धनवेष्टन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 600.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 43

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में ऋषा तथा अग्रिम हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 1400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों के लिये अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है। योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त रुपये 2500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	होशंगाबाद	मोफाडाखेड़ी से अहीर बमनगांव मार्ग	4.50	279.24
2.	होशंगाबाद	पालनपुर बड़ौदिया मार्ग	2.90	109.70
3.	होशंगाबाद	गूजरवाड़ा कीरपुरा राजोन मार्ग	6.50	383.59
4.	रायसेन	केवट पिपलिया से साईखेड़ा मार्ग	4.30	208.87
5.	शाजापुर	पचेटी से मंढकी मार्ग	10.10	435.89
6.	शाजापुर	नांदनी पिपल्ल्यानगर मार्ग	6.60	453.86
7.	धार	झड़दी से टेकी मार्ग	2.00	102.15
8.	धार	पीपलिया से पुरा मार्ग	3.80	218.34
9.	धार	भंवरिया से कोंडा मार्ग	5.10	280.03
10.	पन्ना	सिरबाह से रोहनिया व्हाया बगला मार्ग	12.00	650.00
11.	शहडोल	बुडवा से मसना सोसायटी मार्ग	4.50	135.00
12.	शहडोल	तिखबा हीरापुर मार्ग	8.00	114.00
13.	शहडोल	जनकपुर बस स्टैण्ड से दुर्गा मार्ग	5.00	105.00
15.	शहडोल	विजयसोता से छूही मार्ग	10.00	174.52
16.	हरदा	रोलगाव से मगरधा मार्ग	17.20	900.00
17.	उमरिया	करकेली रामपुर बगदरी विजोरी मार्ग	7.00	325.00
18.	उमरिया	माली से जगला से धवेजर उमरिया मार्ग	7.00	315.00

19.	झाबुआ	खवासा - नगरी - मादलदा मार्ग	11.90	487.06
20.	झाबुआ	धमना - सारणी - बोरकुण्डा मार्ग	4.80	205.90
21.	झाबुआ	डिगगी - रेहन्दा - पारा मार्ग	9.90	380.00
22.	झाबुआ	कल्याणपुर - रापुरिया मार्ग	2.54	100.00
23.	बैतुल	ढानी से पारसडोह मार्ग	6.00	215.49
24.	बैतुल	भोमीखेडा से भडूस मार्ग	2.50	110.54
25.	नरसिंहपुर	लाखा से रेहली मार्ग	2.42	129.96

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	सीहोर	रिछोडा जोड से दामादेही बोरवन मार्ग	5.00	150.00
2.	सीहोर	धनकोट से पान गुडारिया मार्ग	3.00	120.06
3.	सीहोर	मटागांव से रानी कुंडी मार्ग	4.00	160.08

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 75.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 43
मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 1

अखिल भारतीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु मूल बजट में प्रावधान नहीं होने के कारण रुपये 28.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 5

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों की पूर्ति किये जाने हेतु रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

राष्ट्रीय खेल, झारखण्ड में म.प्र. के खिलाड़ियों द्वारा पदक प्राप्त करने पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं अन्य गतिविधियों के लिये स्वीकृत बजट के अतिरिक्त रुपये 312.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

भारत सरकार की योजनांतर्गत पायका (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान) के लिये जारी स्वीकृतियों के आधार पर केन्द्रांश रुपये 1890.76 लाख एवं राज्यांश रुपये 160.28 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 2051.04 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,51,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 8-9

स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना योजना अंतर्गत निर्माण कार्यो हेतु रुपये 313.00 लाख एवं विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमी की अधोसंरचना निर्माण हेतु रुपये 125.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 438.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 - 2

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 05 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय हेतु किराये के वाहन हेतु रुपये 8.00 लाख एवं आयुक्त कार्यालय के लिये फर्नीचर क्रय हेतु रुपये 2.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

मध्यप्रदेश हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवर्ती व्यय के लिये रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45

मुख्य शीर्ष 2702

मद क्रमांक 1 - 2

अन्य लघु सिंचाई निर्माण योजना अंतर्गत मजदूरी एवं कार्यभारित आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन के अंतर्गत रुपये 250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

कृषक संस्थाओं के निर्वाचन हेतु रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 100.00 लाख का अग्रिम दिया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 4

लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनांतर्गत नवीन कार्य कराये जाने हेतु रुपये 12735.17 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी। योजनायें निम्नानुसार हैं:-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	जिला	वर्तमान लागत	अनुदान राशि
1.	अमेलसमेल तालाब	राजगढ़	181.65	100
2.	बुरदा बैराज	राजगढ़	253.25	100
3.	देवहरी तालाब	बुरहानपुर	669.24	100
4.	रूपारेल तालाब	बुरहानपुर	999.89	100
5.	मगरूल तालाब	बुरहानपुर	592.07	100
6.	जेटली बैराज	राजगढ़	196.16	100
7.	बरमान खेडी तालाब	राजगढ़	255.80	100

8.	गडिया तालाब	राजगढ़	355.20	100
9.	बावडीखेड़ा	राजगढ़	217.69	100
10.	केनपुरिया	नीमच	515.56	100
11.	रतनपिपरिया तालाब	मंदसौर	327.47	100
12.	ढिकोला सालिड बियर	मंदसौर	180.90	100
13.	देवपुर स्टापडेम कम काजवे	गुना	112.00	100
14.	कुण्डल तालाब	रतलाम	169.65	100
15.	बरखेड़ा खुर्द तालाब	रतलाम	328.91	100
16.	पेलादरी तालाब	रतलाम	300.13	100
17.	माधवपुर तालाब	रतलाम	162.00	100
18.	सोनिया तालाब	मंदसौर	1369.56	100
19.	सालाबरू तालाब	रायसेन	2839.44	100
20.	सेमराखास तालाब	रायसेन	2512.74	100
21.	इटमा कोठार तालाब	सतना	195.86	100

योग 12735.17 2100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनायें अंतर्गत वृहद निर्माण कार्यों हेतु रुपये 5000.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

ए.आई.बी.पी. योजना अंतर्गत निम्नानुसार नवीन योजनाओं हेतु रुपये 3575.03 लाख का व्यय अनुमानित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जायेगी। योजनायें निम्नानुसार हैं:-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	जिला	वर्तमान लागत	अनुदान राशि
1.	धतुरिया लालपुरिया बैराज	राजगढ़	193.85	100
2.	हिनौतिया बैराज	राजगढ़	117.16	100
3.	धतरावदा बैराज	राजगढ़	238.63	100
4.	नारंगी तालाब	छिंदवाड़ा	454.39	100
5.	द्वारी तालाब	रतलाम	334.32	100
6.	पिटवा मामदेव तालाब	खण्डवा	266.25	100
7.	मेडापानी तालाब	खण्डवा	429.94	100
8.	खुर्दीपुरा तालाब	धार	178.14	100
9.	रतनपुर तालाब	खरगौन	215.28	100
10.	जामुनपाटी तालाब	खरगौन	327.43	100
11.	सेजावाड़ा तालाब न.-3	अलिराजपुर	195.80	100
12.	सालिया तालाब	अलिराजपुर	186.80	100
13.	छोटा इटारा तालाब	अलिराजपुर	312.80	100
14.	झिरंग तालाब	अलिराजपुर	338.38	100
15.	उबगारी तालाब	अलिराजपुर	397.43	100
16.	जानोली तालाब	देवास	638.85	100
17.	अंबाफालिया तालाब	बड़वानी	249.36	100

18. सालीकला तालाब	बड़वानी	479.30	100
19. भाजीपानी तालाब	छिंदवाड़ा	593.05	100
20. पैतिसा तालाब	उज्जैन	672.26	100
21. खलराहा तालाब	कटनी	212.05	100
22. उत्तमडेरा तालाब	छिंदवाड़ा	423.53	100
23. दौहरा तालाब	बालाघाट	398.56	100
24. इंदला तालाब	धार	2447.83	100
25. थाना तालाब	धार	4716.31	100
26. ओझरनाला तालाब	धार	1449.28	100
27. ढोलखारा तालाब	झाबुआ	1941.21	100
28. तेहरी तालाब	रायसेन	1688.91	100
29. अम्बाखापा तालाब	छिंदवाड़ा	2810.72	100
30. बरखेड़ा छज्जू तालाब	अशोकनगर	2996.13	100
31. खारक तालाब	खरगौन	4913.59	100
32. करेली नाला तालाब	खरगौन	1110.14	100
33. नागधर तालाब	सिवनी	269.25	100
34. भण्डारखो तालाब	बालाघाट	348.83	100
35. खेड़ी तालाब	बैतूल	527.08	100
36. चिल्कापुर तालाब	बैतूल	508.75	100
37. मैसुल तालाब	सिवनी	391.84	100
38. डूमरीपाड़ा तालाब	झाबुआ	320.15	100

योग 35753.98 3800

इसके अतिरिक्त रुपये 65.00 करोड़ व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3800 के प्रतीक तथा रुपये 65,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 46
मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1

परिषद द्वारा वेतन भत्तों के भुगतान के लिये बाह्य परियोजना में उपलब्ध राशि से व्यय किया गया। उक्त राशि की पूर्ति हेतु रुपये 29.33 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद अंतर्गत विज्ञान को लोकप्रिय करने एवं विज्ञान के प्रसार हेतु रुपये 75.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5425

मद क्रमांक 3

उज्जैन जिले में डोंगला स्थित खगोलीय वैधशाला के साथ आडिटोरियम के निर्माण हेतु रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

ग्रीन कार्ड धारकों को दी जाने वाली सुविधा के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में अध्ययनरत ग्रीन कार्डधारी की संतानों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु न्यायालयीन प्रकरणों के भुगतान हेतु रुपये 90.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत अनुदान प्राप्त पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान के एरियर की राशि के भुगतान हेतु रुपये 97.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 97,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत रुस्तम जी तकनीकी संस्थान बी.एस.एफ. अकादमी ग्वालियर को अनुदान देने हेतु रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

भारत सरकार की योजना अन्तर्गत 09 पोलिटेक्निक महाविद्यालय यथा अलीराजपुर, अनुपपुर, दतिया, देवास, मंदसौर, कटनी, उमरिया, शाजापुर एवं रायसेन हेतु वर्ष 2010-11 में प्रावधानित राशि रुपये 200.00 लाख आहरित नहीं हो पाने के कारण समर्पित की गई है। अतः रुपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

भारत सरकार की योजना अंतर्गत 19 पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलिटेक्निक नक योजना वर्ष 2009-10 से संचालित की जा रही है। उक्त योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक/युवतियों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसके लिये भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि रुपये 197.73 लाख का प्रावधान आवर्ती व्यय के रूप में किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,97,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 7

मध्यप्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान देने हेतु रुपये 705.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 9

भारत सरकार की योजना अंतर्गत 21 नवीन पोलिटेकनिक महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त सहायता अंतर्गत रुपये 1319.93 लाख का प्रावधान कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, तथा वाहनों का क्रय किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,19,93,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 10 - 27

संचालनालय कौशल विकास के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु रुपये 867.35 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,67,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वाम पंथ उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों के युवाओं के कौशल विकास करने के लिये 75-25 के मान से एक आई.टी.आई. एवं 2 स्किल डेवलपमेंट केन्द्रों की स्थापना हेतु अनावर्ती व्यय हेतु रुपये 190.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

भारत सरकार की योजना अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत गैस राहत आई.टी.आई. के भवन में इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना हेतु प्राप्त सहायता राशि रुपये 44.60 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

भारत सरकार की योजना अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत म.प्र. की एन.सी.व्ही.टी. से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. के लिये कम्प्यूटर एवं संबंधित सामग्री क्रय हेतु प्राप्त सहायता राशि रुपये 151.32 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,51,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 31

भारत सरकार की योजना अंतर्गत 21 नवीन पोलीटेकनिक महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त सहायता अंतर्गत रुपये 1956.07 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,56,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों के युवाओं को कौशल विकास हेतु 75-25 के मान से एक आई.टी.आई. एवं दो स्किल डेवलपमेंट केन्द्रों की स्थापना हेतु रुपये 442.60 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,42,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

भारत सरकार की 75-25 योजना अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर विंग की स्थापना हेतु प्राप्त सहायता अंतर्गत रुपये 65.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 1

नर्मदा घाटी विकास विकास की मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना के विकास हेतु गठित नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड की आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करने हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 5.32 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 5,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 49

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1 - 5

अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में कार्यरत कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रुपये 123.79 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,23,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1 - 8

उद्यानिकी संचालनालय के अंतर्गत वेतन भत्तों में अतिरिक्त राशि रुपये 95.10 लाख व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 12

उद्यानिकी संचालनालय के अंतर्गत रोपणियों में कार्यरत अमले के वेतन भत्ते हेतु रुपये 476.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,76,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 - 15

उद्यानिकी संचालनालय के अंतर्गत वेतन भत्तों मद में अतिरिक्त राशि रुपये 86.86 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 86,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16 - 20

उद्यानिकी के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों, व्यय के वर्गीकरण हेतु रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी प्रतिपूर्ति अन्य मद की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21 - 24

उद्यानिकी संचालनालय के अंतर्गत वेतन भत्तों में कुल राशि रुपये 1.62 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,62,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

उद्यानिकी के अंतर्गत केले की फसल में सिगाटोना नामक रोग के प्रकोप से कृषकों की फसल को नुकसान की रोकथाम हेतु रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51
मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 1 - 2

धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत लेखन सामग्री क्रय हेतु रुपये 50 हजार तथा मजदूरी मद में भुगतान हेतु रुपये 36 हजार कुल राशि रुपये 86 हजार का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग में कम्प्यूटर क्रय किये जाने हैं जिनपर रुपये 3.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52
मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 1

मुख्य मंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बी.पी.एल. परिवारों की सूची में चिन्हित अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत प्रावधानित राशि से रुपये 850.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत इंदिरा आवास योजना हेतु केन्द्रांश की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है। राज्यांश की पूर्ति हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 31.21 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,21,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रमों में पदस्थ संविदा अधीक्षको / संविदा शिक्षको के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के छात्रों को छात्रावृत्ति दी जाना है, इस हेतु वित्तीय वर्ष प्रावधानित राशि से रुपये 500.00 लाख के अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराने के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासो आश्रमों में पदस्थ संविदा अधीक्षको का मानदेय तथा छात्रों की शिष्यवृत्ति हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

जिला पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा छठी में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 500/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 45.92 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,92,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

जिला पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 11वीं में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप क्रमशः रुपये 1000/-, रुपये 3000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 147.14 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,47,14,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

जनपद पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा छठी में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 500/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 30.62 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,62,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जनपद पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 11वीं में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप क्रमशः रुपये 1000/-, रुपये 3000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 98.10 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 98,10,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

ग्राम पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा छठी में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 500/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 101.91 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,01,91,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

ग्राम पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 11वीं में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप क्रमशः रुपये 1000/-, रुपये 3000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 333.44 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,33,44,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 54
मुख्य शीर्ष 2415

मद क्रमांक 1

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को अनुदान योजना अंतर्गत पेंशनरी दायित्वों हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को अनुदान योजना में स्वीकृत बजट से राशि रुपये 200.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना के अंतर्गत स्वीकृत बजट से राशि रुपये 310.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत राज्यांश रुपये 18.00 लाख तथा केन्द्रांश रुपये 162.00 लाख कुल रुपये 1.80 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मद में रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है। इस राशि में से राशि रुपये 15.00 करोड़ अटल बाल आरोग्य मिशन में पूंजीगत मद में प्रावधानित राशि से समर्पित कर पूर्ति की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 3

राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला) के अंतर्गत रुपये 30.00 करोड़ केन्द्रांश तथा 30.00 करोड़ राज्यांश कुल रुपये 60.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 4

जवाहर बाल भवन भोपाल के भवन निर्माण के लिये भुगतान हेतु नवीन मद 4235 खोलते हुये अतिरिक्त आवश्यक राशि रुपये 4.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत नवीन योजना युवा बुनकरों को संस्थागत तकनीकी प्रशिक्षण योजना की स्थापना की जाना है। जिसके लिये राशि रुपये 6.60 लाख की आवश्यकता है। इस राशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58

मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1 - 2

राहत आयुक्त कार्यालय में निर्देशन एवं प्रशासन के अंतर्गत रुपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 3

आपदा राहत भवन के निर्माण के अंतर्गत रुपये 22.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 60

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

विधायक स्वेच्छानुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु रुपये 2.59 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,59,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1 - 2

समाज सेवा के लिये बेहतर कार्य करने वाले मुस्लिम समाज के तीन व्यक्तियों को शहीद असफाक उल्लाहखां, केप्टन हमीदखां एवं मौलाना अबुलकलाम आजाद के नाम से प्रतिवर्ष एक-एक लाख रुपये से पुरस्कृत किया जाना है, इस हेतु पुरस्कार की कुल राशि रुपये 3.00 लाख एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु राशि रुपये 4.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 7.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अल्पसंख्यक वर्ग के युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने में मदद हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाना है। इस योजना पर रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 4

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की विकास योजना के अंतर्गत भोपाल जिले के विकास के लिये इंदिरा आवास योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि रुपये 337.50 लाख उपलब्ध कराई गई है। 25 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में रुपये 112.50 लाख उपलब्ध करायी जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,12,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1 - 3

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत 2 नवगठित जिले अलीराजपुर एवं सिंगरौली में नवीन अनुसूचित जाति कल्याण थानो की स्थापना की गई है। थानो की साज-सज्जा, दूरभाष तथा वाहनो के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राशि रुपये 36.24 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,24,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 4 - 6

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में 21 नवीन पोलिटेकनिक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस हेतु भारत सरकार से प्रथम किस्त के तहत अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये रुपये 630.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है, तथा कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलिटेकनिक योजना के तहत 19 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये रुपये 37.99 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में कुल राशि रुपये 667.99 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,67,99,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 7

म. प्र. खेल प्राधिकरण के अंतर्गत पदस्थ कर्मचारियों का अंशदायी भविष्य निधि योजना अंतर्गत अंशदायी फण्ड का भुगतान एवं प्राधिकरण में पदस्थ अमले के वेतन, भत्तो आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 7.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 13

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में खेलों की सुविधाओं का विस्तार करने हेतु खेल अकादमियों की स्थापना योजना अंतर्गत आवर्ती एवं अनावर्ती मद के रूप में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 78.84 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 78,84,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन, राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार तथा पूर्व ओलम्पियन खिलाड़ियों का सम्मान आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 135.59 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,35,59,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 741.12 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,41,12,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 16

सागर चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मापदण्डों के अनुरूप नियुक्तियां किये जाने तथा संस्था में नियुक्त अधिकारियों /कर्मचारियों को राज्य शासन के शासकीय सेवकों की भांति सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 330.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17 - 20

अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र खरई जिला शिवपुरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना है। जिस हेतु निर्धारित मापदंड अनुसार अतिरिक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की पदस्थापना पर वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता, ग्रेड पे आदि पर होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 21 - 23

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना में पदस्थ अमले के लिए वेतन, मंहगाई भत्ता एवं वर्दिया हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 4.45 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,45,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24 - 26

निदेशन और प्रशासन योजना में पदस्थ अमले के लिए वेतन, मंहगाई भत्ता एवं वर्दिया हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 12.95 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,95,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27 - 29

प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों में पदस्थ अमले में कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई भत्ता तथा ग्रेड पे हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 58.15 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 58,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30 - 31

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत 43 विशेष न्यायालय संचालित है, उनमें पदस्थ अमले के चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा भत्ता आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 40.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 32

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिये अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन संचालित है। इस मिशन के संचालन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 544.44 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,44,44,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 33 - 34

केन्द्र क्षेत्रिय योजना अंतर्गत कृषकों को उन्नत बीज एवं गुणवत्तापूर्ण बीज-विकास सुविधाओं तथा प्रशिक्षण दिये जाने हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त हुई है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 66.75 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 66,75,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं में हुये नुकसान दावों के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 36

अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत मछुआ हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाये जैसे आवास, पेयजल, कम्प्यूनिटी हाल आदि उपलब्ध कराये जाने के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राशि रुपये 75.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 37

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के महाविद्यालयों, पंचायतों तथा अन्य कलस्टरों के माध्यम से विज्ञान के लोकव्यापीकरण के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 38

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत 2 नवगठित जिले अलीराजपुर एवं सिंगरौली में नवीन अनुसूचित जाति कल्याण थानो की स्थापना की गई है। थानो के भवन निर्माण हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राशि रुपये 96.62 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 96,62,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 39

तहसील कार्यालय एवं संयुक्त जिला कार्यालय भवन निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 7.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 40

खेल अकादमियों की स्थापना योजना अंतर्गत विभिन्न अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 68.90 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,90,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में खेलों के विकास एवं अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 106.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 42

कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था हेतु विद्युत वितरण कंपनी को धनवेष्ठन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 12000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 43

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में धनवेष्ठन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 1200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 44

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पन्ना जिले के पवई से मैहर रोड पर केन नदी पर पुल तथा पन्ना जिले के सुनवारी से मुडवारी के बीच केन/गुडने नदी पर पुल का निर्माण अपरीक्षित मद के रूप में कराया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 45

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्मांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	रायसेन	सेमरी खेजरा जमनिया धादला सनखेडा मार्ग	13.00	499.00
2.	नरसिंहपुर	बंराझा खुलरी मार्ग	3.80	191.29
3.	रतलाम	सेजावदा बगरौदा मार्ग	9.00	800.00
4.	रतलाम	हाटपिपल्या आलमपुर टिकरिया रिगनौद मार्ग	9.00	600.00
5.	रायसेन	मगरधा उमरिया भिलाडीया बगलवाडा मार्ग	13.00	520.00
6.	रायसेन	छवारा से पिपलिया पुआरिया मार्ग	4.00	160.00
7.	रायसेन	छवारा से केताधान मार्ग	5.00	200.00
8.	रायसेन	देवता से बरहाकलां मार्ग	4.00	160.00
9.	शिवपुरी	पोहरी रोड से ग्राम ठर्री मार्ग	4.00	149.32
10.	मुरैना	धनेटा से उदरपुरा मार्ग	3.50	157.50
11.	विदिशा	चाटोली घोसुआ हाटखेडा हिरनौदा मार्ग	8.60	340.25
12.	विदिशा	सुमेर हथिया खेडा रोड से भदारबड़ागांव मार्ग	10.50	392.60
13.	मंदसौर	मन्साखेडी - अडनालिया मार्ग	4.00	280.00
14.	मंदसौर	भाउगढ़ से नोंदवेल मावता मार्ग	7.00	490.00
15.	मंदसौर	अकोदरा से करजू - बनी मार्ग	7.00	500.00
16.	शाजापुर	करजू से भौरासा मार्ग	6.00	270.00
17.	शाजापुर	अन्तागलिया लहरी गहलोत मार्ग	1.50	150.00

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 34.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 46

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	रायसेन	भोपाल सागर मार्ग से ग्राम काट सेमरा बरामद सोथर तक मार्ग	10.00	428.00
2.	रायसेन	परवरिया से देवलखेडा चांदना मार्ग	5.40	300.00

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 47

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में ऋण तथा अग्रिम हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 2800.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1 - 2

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिये किराये से लिये गये विमान/हेलीकाप्टर के भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से रुपये 350.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था जिसका समायोजन किया जाना है। चिकित्सा देयक की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 1.50 लाख की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल राशि रुपये 351.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 3,51,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

कला और संस्कृति भवनों के अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

शासकीय कार्यालय भवनों के अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु राशि रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

लोक सेवा आयोग के कार्यालय भवन के अनुरक्षण हेतु रुपये 25.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

शपथ समारोहों में टेन्ट कनात आदि की व्यवस्था हेतु राशि रुपये 2.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 5

न्याय प्रशासन के आवासीय भवन अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु रुपये 100.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

शासकीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु राशि रुपये 2000.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 7

भारत सरकार की जेल सुधार योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा कराये जाने में रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 69

मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1

म.प्र. के सभी विभागों के उपयोग की दृष्टि से एक रिमोट सेंसिंग डेटा बेस जिसमें जी.आई.एस. लैब की कुछ प्रारंभिक सुविधाये उपलब्ध हो के

निर्माण हेतु रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5425

मद क्रमांक 2

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत प्रदेश में आई.आई.आई.टी. की स्थापना किये जाने हेतु रुपये 128.00 करोड़ का व्यय संभावित है। जिसमें राज्यांश रुपये 35 प्रतिशत के मान से रुपये 45.00 करोड़ का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 16

भोपाल गैस त्वासदी राहत एवं पुर्नवास के अंतर्गत वेतन भत्ते, मजदूरी, ग्रेड-पे में राशि रुपये 693.84 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,93,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 17

माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुक्रम में जीवन ज्योती कालोनी करौद स्थित आवासीय गृहों की मरम्मत एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के रेडियोथेरेपी विभाग में गामा कैमरा मशीन की स्थापना एवं मेडिसीन विभाग में डायलेसिस मशीनों की स्थापना की जाना है। उक्त मशीन की स्थापना हेतु अनावर्ती व्यय में राशि रुपये 464.42 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,64,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

शिक्षा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि होने के कारण रुपये 8000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 2

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर उपकरण क्रय किये जाने प्रस्तावित है। जिसपर रुपये 87.15 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 87,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 3

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुदान मद के अंतर्गत राशि रुपये 45.45 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	75
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1

संविदा शाला शिक्षकों वर्ग 1,2 एवं 3 का मानदेय माह नवम्बर 2011 में दुगना किये जाने के कारण क्रमशः वर्ग 1 एवं 2 के लिये रुपये 33,35,47,500 एवं वर्ग 3 के लिये रुपये 43,93,25,000 इस प्रकार कुल रुपये 77,28,72,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,28,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2215
-------------	------

मद क्रमांक 2 - 7

स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं के संधारण अंतर्गत वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 259.75 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,59,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 12

प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण अंतर्गत वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 1327.66 लाख अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,27,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 - 14

स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं के संधारण अंतर्गत वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 7,75,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2217
-------------	------

मद क्रमांक 15,16,18

शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन नगरीय निकायों के माध्यम से किया जाना है।

उक्त प्रयोजना हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

तेरहवे वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान हेतु राशि रुपये 197.10 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,97,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	3604
-------------	------

मद क्रमांक 19

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार को नगरीय निकायों को हस्तांतरण के अंतर्गत राशि रुपये 8600.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 86,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	77
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लोक व्यापीकरण हेतु रुपये 1920.00 लाख का प्रावधान किया

जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राशि स्वीकृत की गई है। उक्त योजना हेतु रुपये 1440.66 लाख की राशि आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गई है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 14,40,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

न्यायालयीन प्रकरणों में भुगतान की जाने वाली राशि प्रावधानित राशि से अधिक होने के कारण रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत कक्षा 9वीं में नामांकन में अत्यधिक वृद्धि होने से बालक/बालिकाओं को निःशुल्क साईकिल के प्रदाय हेतु रुपये 2419.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

विकास खण्ड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों को अनुदान अंतर्गत 131 मॉडल स्कूलों के लिये छात्रावास संचालन योजना हेतु रुपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 6

संचालनालय राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंतर्गत कार्यालयों में लघु निर्माण कार्य हेतु रुपये 3.65 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

एन.सी.सी. के 5 संभागीय कार्यालयों हेतु कम्प्यूटर क्रय करने के लिये रुपये 1.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।